समक्ष - उमा नाथ सिंह , जे

सुरेश कुमार – अपीलकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य , – उत्तरदाता

सी.आर.एल. A. No. 147/SB ऑफ़ 1992

23 फरवरी 2005

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 221 (2) – भारतीय दंड संहिता, 1860 – धारा 302 और 304 (B)– दहेज मृत्यु – सत्र न्यायालय ने आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोप लगाया और मुकदमा चलाया, लेकिन IPC की धारा 304-B के तहत दोषी ठहराया और सजा सुनाई गई क्योंकि IPC की धारा 304-B, IPC की धारा 302 से मामूली प्रकृति का है। क्या धारा 304-B IPC की अनुपस्थिति के तहत किसी आरोपी को दोषी ठहराया जा सकता है – **अभिनिर्णित** - नहीं – सत्र न्यायालय, रोहतक द्वारा तह दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया है और इस मामले को नए सिरे से रिमांड कर के उचित आरोप तय करने के बाद गुण-दोष पर विचार करने के लिए अदालत को भेज दिया है।

अभिनिर्णित -, चूंकि सुदेश कुमारी की मृत्यु शादी के 9 महीने के भीतर हुई थी और यह आरोप था कि चूंकि उसके माता-पिता दहेज की मांग को पूरा करने में विफल रहे थे, जिस के कारण उसके पति द्वारा उसे परेशान किया जा रहा था। साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-A के तहत दहेज हत्या के बारे में उपधारणा को लिया गया है। हालाँकि, आरोप से ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी-अपीलकर्ता पर केवल IPC की धारा 302 के तहत मुकदमा चलाया गया है, लेकिन

IPC की धारा 304-B के तहत उसे दोषी ठहराया गया है। अत: माननीय शीर्ष के निर्णय के तहत शमन साहब एम. मुल्तानी बनाम राज्य कर्नाटक, 2001 (1) RCR(criminal) 617 , धारा 302 के अलावा धारा 304-B IPC की अनुपस्थिति के तहत, अपराध मामूली प्रकृति का है, जिस कारण आईपीसी की धारा 304-B के तहत किसी आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इस प्रकार, मामले की योग्यता पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं अपर सत्र न्यायाधीश, रोहतक द्वारा तह दोषसिद्धि और सजा को रद्द करता हूं और और इस मामले को नए सिरे से रिमांड कर के उचित आरोप तय करने के बाद गुण-दोष पर विचार करने के लिए उनकी अदालत में भेज दिया है।

(पैरा 4 एवं 6)

एस. एस. अहलावत, अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता.

संजीव श्योकंद, सहायक महाधिवक्ता, हरियाणा , प्रतिवादी की ओर से

निर्णय

(1) यह आपराधिक अपील अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश, रोहतक, 1992 के सत्र परीक्षण संख्या 6, के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, हालांकि, आरोपी पर केवल IPC की धारा 302 के तहत मुकदमा चलाया गया, लेकिन आईपीसी की धारा 304-B के तहत उसे दोषी ठहराया गया है और उसे अपना बचाव करने का अवसर दिए बिना एक अवधि के

तहत 7 वर्ष की कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई और स्पष्ट रूप से यह धारणा दी गई कि अपराध के तहत IPC की धारा 304-B, IPC की धारा 302 के मुकाबले मामूली है।

(2) प्रॉसिक्यूशन के मामले के प्रासंगिक तथ्य, जैसा कि आक्षेपित निर्णय में कहे गए है, निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किए जाते है :-

> “2 . गांव कवाली, जिला सोनपत, के निवासी उम्मेद सिंह की बेटी सुदेश कुमारी का विवाह आरोपी सुरेश कुमार से उसकी मौत के लगभग नौ महीने पहले 22 मार्च, 1991 को हुआ था। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि मृत्यु से डेढ़ महीने पहले सुदेश कुमारी ने अपनी तीसरी यात्रा पर अपने माता-पिता के घर का दौरा किया और उन्हें बताया कि उसे टेलीविजन और कुछ गहने लाने के लिए के लिए पूछा गया है। उम्मेद सिंह ने तीसरी यात्रा पर अपनी बेटी सुदेश कुमारी को 9 मार्च, 1991 को टेलीविजन और गहने दिए बिना ही सुरेश कुमार के साथ भेज दिया। आगे मामले में अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है कि पूर्वोक्त मांग को पूरा नहीं करने पर सुदेश कुमारी को उसके ससुराल वालों ने परेशान किया था। 22 तारीख मार्च, 1991 को गाँव फतेहपुर के उमरो सिंह, उम्मेद सिंह के पास आया और उसे बताया कि उसकी बेटी सुदेश कुमारी की कुछ गोली खाने के बाद मौत हो गई। उम्मेद सिंह उनके चाचा चंदन सिंह, भाई सूरज भान और उनके भतीजे राजबीर के साथ सुरेश कुमार के घर गांव मोखरा गए। वहां उसने पाया कि उसकी बेटी का

शव सुरेश कुमार के घर के चौबारा (पहली मंजिल पर कमरा) में बिस्तर पर पड़ा था और उसने आरोप लगाया कि मृतक की गर्दन पर चाकू की कई चोटें लगी थीं और चोटें से खून बिस्तर के गद्दे पर गिर रहा था। उम्मेद सिंह और अन्य लोगों ने पूछताछ की और उन्हें पता चला कि सुदेश कुमारी की हत्या आरोपी सुरेश कुमार ने की थी। इस मामले की रिपोर्ट पुलिस को करने के लिए उम्मेद सिंह रोहतक गया। वहां उसे पता चला कि गाँव मोखरा के थाना मेहम अधिकार क्षेत्र में है। वह फिर पुलिस स्टेशन मेहम गए और वहाँ S.I. रमेश्वर दास को मामले की सूचना दी। जिन्होंने उनके बयान के आधार पर, FIR जिसकी कार्बन कॉपी EX. PA. है, को दर्ज किया। S.I. रमेश्वर दास तब कुछ अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ गांव मोखरा के श्मशान गए। वहाँ उन्होंने फूल चंद और वेद पाल की उपस्थिति में रफ साइट प्लान EX. PK तैयार किया। स्पॉट से उन्होंने मृतक सुदेश कुमारी की राख और हड्डियों के टुकड़े उठा लिए, उनका पार्सल बनाया और सील बेयरिंग से छाप RD. के तहत सीलबंद की और इसे वाईड मेमो –EX. PJ तहत कब्जे में ले लिया गया। इसके बाद SI रमेश्वर दास ने घटना के स्थान का दौरा किया और उक्त स्थान का EX. PK . रफ साइट योजना को तैयार किया। उसने वाइड मेमो – EX. PF . में घटना के स्थान से एक खून के दागदार गद्दा को अपने कब्जे में लिया। आरोपी को 25 मार्च, 1991 को दया किशन लंबरदार द्वारा SI रमेश्वर

दास के सामने पेश किया गया और उसके द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया था। जांच पूरी होने के बाद, आरोपी को श्री लक्ष्मण शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रोहतक के दरबार में भेजा गया था और उनके द्वारा मामले को वही मुकदमे के लिए सत्र न्यायालय को सौंप दिया।

3. 24 जुलाई, 1991 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत सुरेश कुमार पर आरोप लगाया गया और अन्य आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के तहत आरोपित किया गया था। उन्होंने उक्त आरोपों के लिए दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और परीक्षण का दावा किया"।

(3) प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ सुनीं और अभिलेखों का अवलोकन किया।

(4) अपीलकर्ता के वकील ने सर्वोच्च न्यायालय के **शमनसाहेब एम. मुल्तानी बनाम कर्नाटक राज्य**[1], मामले में माननीय तीन न्यायाधीश बेंच के निर्णय के बल पर प्रारंभिक रूप से आपत्ति उठाई, कहा कि धारा 302 IPC के अलावा धारा 304 की उप धारा-B की विशिष्ट अनुपस्थिति के तहत, अपराध मामूली प्रकृति का है, जिस कारण IPC की धारा 304-B के तहत किसी आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। दूसरी ओर, सीखा राज्य के सहायक महाधिवक्ता ने यह बात प्रस्तुत की कि धारा 221 (2) CrPC में पूरी तरह से आवरण किया गया है और

[1] 2001 (1) RCR (criminal) 617

CrPC की धारा 313 के तहत जांच में आरोपी को दहेज की मांग पर विशेष प्रश्न पूछा गया है।

(5) संदर्भ के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में कानून के इस बिंदु पर पहले से ही महान विवरणों में चर्चा की गई कि धारा 304-B IPC, धारा 302 IPC से मामूली नहीं हो सकती है और उस संबंध में, मुख्य रूप से इस आधार पर एक अलग शुल्क निर्धारित किया जाता है कि आरोपी को आरोप के बचाव के लिए अपनी जगह बनाने का अवसर नहीं मिलता है और दहेज मृत्यु के रूप में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-B के तहत इसकी एक उपधारणा है। इस प्रकार, किसी विशिष्ट आरोप की अनुपस्थिति में, धारा 304-B IPC के अंतर्गत आरोपी को एक अलग अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस तरह, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आरोपी को धारा 304 - B IPC के तहत अपने बचाव में आगे बढ़ाने के लिए अवसर की पेशकश की, दोषसिद्धि और पारित सज़ा को रद्द किया और इसके तहत मामले को एक नए सिरे से विचार करने के लिए भेज दिया गया।

(6) इस मामले में भी, चूंकि सुदेश कुमारी की मृत्यु शादी के 9 महीने में हो गई थी और यह आरोप था कि उसे उसके माता-पिता द्वारा दहेज की मांग को पूरा करने में विफल रहने के कारण उसे उसके पति द्वारा परेशान किया जा रहा था। इस संधर्व में धारा 113-A साक्ष्य अधिनियम के तहत दहेज मृत्यु के रूप में उपधारणा आवरण है। हालाँकि, यह आरोप से प्रकट होता है कि आरोपी-अपीलकर्ता पर केवल धारा 302 IPC के तहत मुकदमा चलाया गया था,

लेकिन धारा 304-B IPC के तहत दोषी ठहराया गया था। इसलिए निर्णय का अनुपात (supra) इस मामले को आवरण करेगा। इस प्रकार, किसी भी राय को व्यक्त किए बिना, प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ के सावधानीपूर्वक विचारों पर मामले की खूबियों के आधार पर, मामले की योग्यता पर कोई राए व्यक्त किए बिना, मैं अपर सत्र न्यायाधीश, रोहतक, 1992 के सत्र परीक्षण संख्या 6, द्वारा दी गई दोषसिद्धि और सजा को रद्द करता हूं और मामले को नए सिरे से रिमांड कर के उचित आरोप तय करने के बाद गुण-दोष पर विचार करने के लिए उनकी अदालत में भेज दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रोहतक फैसले की प्रति प्राप्त होने पर दो महीनों के भीतर प्रक्रिया पूरी करेंगे।

(7) इसलिए, जैसा कि यहां ऊपर चर्चा की गई है, सी.आर.एल. अपील के रिकॉर्ड पर साक्ष्य की पुनः सराहना गुण-दोष के आधार पर न करके, केवल प्रारंभिक आपत्ति के आधार पर करने की जाती है । मामले के रिकार्ड तुरंत अनुपालन हेतु अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश न्यायालय, रोहतक को रिकार्ड भेजने के लिए रजिस्ट्री को निर्देशित किया गया है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रितिज़ अरोड़ा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(TRAINEE JUDICIAL OFFICER)

(हरियाणा)